**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**
**दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**

**सं. एफ. 2/08/2020/एस–1/पार्ट फा0/233** **दिनांकः 18.06.2020**

**आदेश**

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण का खतरा है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय– समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए गए ।

और जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड –19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, कोविड संदिग्ध मामलों के सर्वेक्षण के लिए आइसोलेशन मामलों की निगरानी और प्रबंधन; और सरकार –गैर सरकारी संगठन समन्वय हेतु एक तंत्र स्थापित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ, व्यक्तिगत स्वयंसेवकों, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस कैडेट्स और स्काउट्स आदि; को शामिल करना आवश्यक माना गया है,

अब इसलिए, 14 जून, 2020 को गृह मंत्रालस, भारत सरकार में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य कार्यकारिणी समिति, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अद्योहस्ताक्षरी एतद् द्वारा निर्देश देते हैं िकइस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निम्नलिखित योजना क्रियान्वित की जाएगीः –

1. मण्डलीय आयुक्त कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपायुक्त (आईटी) के समग्र पर्यवेक्षण के अर्न्तगत गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और व्यक्तिगत स्वयंसेवकों के पंजीकरण के लिए एनआईसी, दिल्ली द्वारा एक वेब आधारित पोर्टल और एक डैशबोर्ड विकसित और अनुरक्षित किया जाएगा।

2. इच्छुक एनजीओ/सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन (सीएसओ) और व्यक्तिगत स्वयंसेवक उक्त पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, बशर्ते वे निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों;

क) स्वयंसेवक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

ख) स्वास्थ्य की स्थिति 'फिट' और 'ASYMPTOMATIC' होनी चाहिए।

3. गैर–सरकारी संगठन/स्वयंसेवक निम्नलिखित गतिविधियों में लगे रहेंगेः

i) संदिग्ध मामलों का सर्वेक्षण।

ii) आइसोलेशन के मामलों की निगरानी और प्रबंधन।

iii) हेल्पलाइन सहायता।

iv) वरिष्ठ नागरिकों को सहायता।

v) सरकारी अस्पतालों / अस्थायी अस्पतालों के लिए सहायता।

vi) कोविड प्रतिक्रिया पर अधिकारियों और स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

vii) कोई अन्य सेवाएं (विनर्दिष्ट की जानी हैं)।

4. वे व्यक्ति जो कोविड –19 से उबर चुके हैं और कोविड–19 संबंधित गतिविधियों के लिए काम करने के इच्छुक हैं, वे भी उपरोक्त वेब बेस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जिला प्रशासन उपरोक्त उपायों के अलावा इन व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग, जिले में विश्वास निर्माण उपायों के रूप में कर सकता है।

5. जिला प्रशासन दिल्ली में इन संगठनों के मुख्यालय से अपने जिले में रहने वाले एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस कैडेट्स और स्काउट्स के नाम और अन्य विवरण प्राप्त करेगा।

6. गैर सरकारी संगठन / सामाजिक संगठन द्वारा चुने गए जिले के आधार पर गैर सरकारी संगठन / सामाजिक संगठन को संबंधित जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा। व्यक्तिगत स्वयंसेवकों को उनके निवास स्थान के आधार पर संबंधित जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा। जिला प्रशासन आगे चलकर व्यक्तिगत स्वयंसेवकों को गैर–सरकारी संगठनों/ सीएसओ को सौंप सकता है।

7. जिला प्रशासन गैर–सरकारी संगठनों/सीएसओ/व्यक्तिगत स्वयंसेवकों/एनसीसी कैडेट्स/एनएसएस कैडेट्स और स्काउट्स आदि से संपर्क करेगा। उपरोक्त पैरा 3 में उल्लिखित किसी एक या अधिक उद्देश्यों के लिए उन्हें अपने साथ जोड़ेगा।

8. कोविड के खिलाफ लड़ाई में उनकी सेवाओं को सम्मान देने के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गैर सरकारी संगठनों/सीएसओ/व्यक्तिगत स्वयंसेवकों/एनसीसी कैडेटों/एनएसएस कैडेट्स और स्काउट्स आदि को भागीदारी और प्रशंसा का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

9. इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार आइसोलेशन आदि मामलों के आदि के निगरानी और प्रबंधन , संदिग्ध मामलों के सर्वेक्षण के कार्य के लिए जिलों द्वारा पहले से उपयोग किए जा रहे तरीके और प्रारूप में जिला प्रशासन गैर–सरकारी संगठनों/सीएसओ/व्यक्तिगत स्वयंसेवकों/एनसीसी कैडेट्स /एनएसएस कैडेट्स और स्काउट्स आदि से दैनिक/आवधिक रिपोर्ट प्राप्त करेगा ।

10. सभी गैर–सरकारी संगठन/सीएसओ/व्यक्तिगत स्वयंसेवक/कैडेट/स्काउट आदि जिले के जिला निगरानी अधिकारी (डीएसओ) या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पहचाने गए किसी भी अधिकारी के समग्र पर्यवेक्षण और निर्देशों के तहत कार्य करेंगे।

11. जिला प्रशासन इस प्रक्रिया में शामिल गैर–सरकारी संगठनों/सीएसओ/व्यक्तिगत स्वयंसेवकों/कैडेटों/स्काउट्स आदि के उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण का संचालन करेगा।

12. प्रधान सचिव (आई एंड पी) विभिन्न माध्यमों से पूर्वोक्त योजना का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेंगे ताकि अधिकतम पंजीकरण किये जा सके।

सभी जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अन्य अधिकारी इस आदेश का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

**(विजय देव)**
**मुख्य सचिव, दिल्ली.**

**प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :–**

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. प्रधान सचिव (आई एंड पी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, दिल्ली।
5. एसआईओ, एनआईसी, दिल्ली।
6. जिला निगरानी अधिकारी (संबंधित जिला मजिस्टेटों के माध्यम से)।
7. राष्ट्रीय कैडट कोर, बी–4 बादली रोड़, पॉकेट 8, बी–ब्लाक, सैक्टर–19, रोहिणी, नई दिल्ली–89.
8. क्षेत्रीय प्रबंधक (एनएसएस), 15/11, जामनगर हाउस, नई दिल्ली–11.
9. दिल्ली स्टेट भारत स्काउट एंड गाइड 113–ए, डॉ0 सुभाष भार्गव मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली।

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–**

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. प्रधान सचिव (राजस्व)/मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. राज्य कार्यकारिणी समिति, डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, के समस्त सदस्य।
12. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाइल।